भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2341

13 फरवरी, 2026 को उत्तर के लिए

बिहार में भूतपूर्व सैनिक

2341. श्रीमती शांभवी:

श्री राजेश वर्माः

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार राज्य में पंजीकृत भूतपूर्व सैनिकों की कुल संख्या कितनी है और उनके लिए उपलब्ध कल्याणकारी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य में भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) के अंतर्गत आने वाले पॉलीक्लिनिकों की स्थिति क्या है, और उनमें दवाओं की उपलब्धता क्या है;

(ग) बिहार के सेवानिवृत्त सैनिकों को प्रदान किए गए पुनर्वास और कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा राज्य में भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए 'सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा' प्रणाली के माध्यम से क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्या सरकार द्वारा बिहार के प्रमुख शहरों में 'सैनिक विश्राम गृहों' का निर्माण शुरू किया गया है/किए जाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संजय सेठ)

(क) दिनांक 30 जून, 2024 की स्थिति के अनुसार बिहार राज्य में पंजीकृत भूतपूर्व सैनिकों (ईएसएम) की कुल संख्या 1,33,526 है। भूतपूर्व सैनिकों को केन्द्रीय सैनिक बोर्ड और

भूतपूर्व सैनिक पुनर्वास निदेशालय द्वारा प्रदान की जा रही कल्याणकारी योजनाओं का ब्यौरा क्रमशः अनुलग्नक **-I** और **II** में दिया गया है।

(ख) बिहार राज्य में भूतपूर्व सैनिकों को नकद-रहित और सीमा-रहित स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए 19 ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक कार्यरत है।

(ग) बिहार सहित अखिल भारत स्तर पर अफसरों/जूनियर कमीशंड अफसरों/अन्य रैंक के सैनिकों के लिए पुनर्वास और कौशल विकास पाठ्यक्रमों की आयोजना और कार्यनिष्पादन संबंधी कार्य पुनर्वास महानिदेशक द्वारा किया जाता है। पुनर्वास और कौशल विकास पाठ्यक्रमों का ब्यौरा अनुलग्नक-**III** में दिया गया है।

(घ) वर्ष 2025-26 के दौरान बिहार में पेंशन संबंधी शिकायतों का समाधान करने के लिए दो स्पर्श आउटरीच कार्यक्रमों और एक ईएसएम रैली का आयोजन किया गया था। इसका ब्यौरा निम्नानुसार हैः

कार्यक्रम	स्थान	तिथि
स्पर्श आउटरीच कार्यक्रम	बक्सर	21.04.2025
	आरा	27.11.2025
ईएसएम रैली	दानापुर	14.01.2026

राज्य भर में 57,793 सामान्य सेवा केन्द्रों (सीएससी) के अलावा 305 स्पर्श (एसपीएआरएसएच) सेवा केन्द्रों (विभागीय-10 और बैंक-295) का एक नेटवर्क भी स्थापित किया गया है, जो पोर्टल-संबंधी सेवाओं और स्पर्श पर एक्सेस के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त सीपीजीआरएएम पोर्टल के माध्यम से भी पेंशन संबंधी शिकायतों का समाधान किया जाता है।

(ङ) सैनिक विश्राम गृहों का निर्माण, संचालन और रखरखाव संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा किया जाता है। वर्तमान में बिहार के भागलपुर, भोजपुर, छपरा, मुंगेर, गया, कटिहार, मोतीहारी और पटना (दानापुर छावनी) में आठ सैनिक विश्राम गृह स्थित हैं।

"बिहार में भूतपूर्व सैनिक" के संबंध में दिनांक 13.02.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2341 के भाग 'क' के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

केन्द्रीय सैनिक बोर्ड (केएसबी) द्वारा ईएसएम/विधवाओं/युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं और उनके आश्रितों को प्रदान की जा रही विभिन्न कल्याण योजनाओं का विवरण

1. **सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि द्वारा-**

क्रम सं.	**अनुदान**	**राशि (रुपए में)**
1	**निर्धनता अनुदान** (65 वर्ष और इससे अधिक) (हवलदार रैंक तक के गैर-पेंशनभोगी)	8000/- रुपये प्रति माह
2	**शिक्षा अनुदान** (दो बच्चों तक) (i)स्नातक तक बालक/बालिकाएं (ii) पीजी के लिए विधवाएं (हवलदार रैंक तक के पेंशनभोगी/गैर-पेंशनभोगी) और दो बच्चों तक	2000/- रुपए प्रति माह
3	**नि:शक्त बच्चों के लिए अनुदान** (जेसीओ रैंक तक के पेंशनभोगी/गैर-पेंशनभोगी)	3000/- रुपए प्रति माह
4	**पुत्री के विवाह के लिए अनुदान** (02 पुत्रियों तक) (हवलदार रैंक तक के पेंशनभोगी/गैर-पेंशनभोगी)	1,00,000/-रुपए
	विधवा पुनर्विवाह अनुदान (हवलदार रैंक तक के पेंशनभोगी/गैर-पेंशनभोगी)	

5	**चिकित्सीय उपचार अनुदान** (हवलदार रैंक तक के गैर-पेंशनभोगी)	50,000/- रुपए (अधिकतम)
6	**अनाथ संबंधी अनुदान** (सभी रैंक के पेंशनभोगी/गैर-पेंशनभोगी) • विवाह हो जाने तक भूतपूर्व सैनिकों की पुत्रियां • वर्ष की आयु तक भूतपूर्व सैनिक का 21 एक पुत्र	3000/-रुपए प्रति माह
7	**विधवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण अनुदान** (हवलदार रैंक तक के पेंशनभोगी/गैर-पेंशनभोगी)	50,000/-रुपए (एकबारगी)
8	**निम्न सूची अनुसार गंभीर बीमारियां:-** एंजीयोप्लास्टी, एंजीयोग्राफी, सीएबीजी, ओपन हार्ट सर्जरी, वॉल्व रीप्लेसमेंट, पेसमेकर इम्प्लांट, सेरेब्रल स्ट्रोक, प्रोस्ट्रेट सर्जरी, जॉइन्ट रीप्लेसमेंट और रीनल इम्प्लांट । **अन्य बीमारियां:** डायलिसिस और कैंसर उपचार (गैर-पेंशनभोगी भूतपूर्व सैनिकों/विधवाओं/ सभी रैंकों में भूतपूर्व सैनिकों की पत्नियों पर आश्रितों के लिए लागू)	**अधिकारियों और अधिकारी रैंक से नीचे के कार्मिकों (पीबीओआर) के लिए कुल व्यय का क्रमश: 75% और 90% अधिकतम 1.50 लाख रुपए तक।** **अधिकारी तथा पीबीओआर को कुल व्यय का क्रमश: 75% और 90%** **कैंसर और डायलिसिस के लिए प्रति वर्ष अधिकतम 75,000/- रुपए तक।**

9	**जेसीओ रैंक तक के नि:शक्त भूतपूर्व सैनिकों के लिए मॉडिफाइड स्कूटर अनुदान:** ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिनकी सेवा के बाद नि:शक्तता 50% या उससे अधिक है।	1,00,000/- रुपए (10 वर्ष के बाद पुन: आवेदन)
10	**जेसीओ रैंक तक, आवास ऋण पर ब्याज सब्सिडी:** युद्ध से शोक संतप्त, युद्ध में नि:शक्त हुए तथा शांतिकाल में हताहत हुए सैनिकों के मकानों के निर्माण हेतु बैंक अथवा एलआईसी, जीआईसी और हुडको आदि सहित सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं से लिए गए आवास ऋण पर ब्याज की 50% धनराशि की प्रतिपूर्ति।	अधिकतम 1,00,000/- रुपए (एकबारगी)

2. **<u>प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति स्कीम:</u>** पाठ्यक्रमों की सम्पूर्ण अवधि के लिए मेरिट के आधार पर पात्र बच्चों को कुल 5500 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। छात्रवृत्तियों की दरें निम्नवत हैं:-

(क) बालकों के लिए प्रतिमाह 2500/- रुपए।

(ख) बालिकाओं के लिए प्रतिमाह 3000/- रुपए।

3. ईएसएम के पुनर्वास में संलग्न संस्थाओं को वित्तीय सहायता:-

<u>क्रम सं.</u>	**<u>संगठन</u>**	**<u>सहायता/अनुदान की प्रमात्रा</u>**
(क)	**<u>पैरेप्लेजिक रीहैबिलेटेशन सेन्टर</u>**	**<u>स्थापना अनुदान (प्रतिवर्ष)</u>**
	(i) किर्की	(i) 1.20 करोड़ रुपए (अप्रैल 2016 से) — 30,000/- रुपए प्रतिवर्ष प्रति संवासी
	(ii) मोहाली	(ii) 10 लाख रुपए (अप्रैल 2015 से) — 30,000/- रुपए प्रतिवर्ष प्रति संवासी

(ख)	अखिल भारतीय गोरखा भूतपूर्व सैनिक कल्याण संघ, देहरादून	12 लाख रुपए प्रतिवर्ष (वित्त वर्ष 2026-27 से बढ़ाकर प्रतिवर्ष 18 लाख रु. कर दिया गया)
(ग)	**<u>चेशायरगृह</u>** (i) लखनऊ (ii) दिल्ली (iii) देहरादून	15,000/- रुपए प्रतिवर्ष प्रति संवासी
(घ)	**<u>समर स्मारक छात्रावास:</u>** 36 ऐसे डब्ल्यूएमएच हैं जो युद्ध विधवाओं/युद्ध में नि:शक्तजनों के बच्चों, आरोप्य तथा अनारोप्य मामलों में आश्रय प्रदान कर रहे हैं।	1350/- रुपए प्रति बच्चा/प्रति माह

4. भारत सरकार के नामिति के रूप में रक्षा कार्मिकों के बच्चों के लिए मेडिकल/डेंटल कॉलेजों में सीटों का आरक्षण: भारत सरकार के नामिति के रूप में रक्षा कार्मिकों के बच्चों के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा केएसबी को वित्त वर्ष 2025-26 में एमबीबीएस की कुल 42 सीटें और बीडीएस पाठ्यक्रमों की 3 सीटें आवंटित की गईं थीं।

"बिहार में भूतपूर्व सैनिक" के संबंध में दिनांक 13.02.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2341 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-II

अखिल भारत स्तर पर (बिहार राज्य सहित) भूतपूर्व सैनिकों, निःशक्त सैनिकों, विधवाओं और उनके आश्रितों के लिए विभिन्न पुनर्वास योजनाओं और कौशल विकास प्रशिक्षण का ब्यौरा

क्रम सं.	योजनाओं के नाम	योजनाओं का विवरण
1	**डीजीआर प्रायोजित सुरक्षा एजेंसी योजना**	डीजीआर विभिन्न सीपीएसई और किसी भी कॉर्पोरेट हाउस, निजी क्षेत्र के उपक्रमों को आवश्यकतानुसार सुरक्षा गार्ड प्रदान करने के लिए ईएसएम द्वारा संचालित निजी सुरक्षा एजेंसियों और राज्य ईएसएम निगमों को सूचीबद्ध/प्रायोजित करता है।
2	**डीजीआर तकनीकी सेवा योजना**	डीजीआर सूचीबद्ध राज्य ईएसएम निगमों के माध्यम से सरकारी प्रतिष्ठानों/परिसरों को 'तकनीकी सेवाओं' के लिए भूतपूर्व सैनिक कार्यबल उपलब्ध कराता है। यह योजना हाल ही में शुरू की गई है।
3	**ईएसएम कोयला लोडिंग और परिवहन योजना (केवल अधिकारी)**	यह योजना कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और डीजीआर के बीच समझौता ज्ञापन के आधार पर प्रशासित की जाती है। वर्तमान में यह योजना पुनरुद्धार के अधीन है।
4	**ईएसएम के लिए कोल टिपर अटैचमेंट योजना (जेसीओ/ओआर के लिए)**	यह योजना ईएसएम कोल लोडिंग और परिवहन योजना से संबद्ध है।

5	**विधवाओं और नि:शक्त सैनिकों के लिए टिपर अटैचमेंट योजना**	65 वर्ष तक की विधवाएँ और 50% या उससे अधिक नि:शक्तता वाले नि:शक्त सैनिक इस योजना में नामांकन के लिए पात्र हैं। यह योजना ईएसएम कोयला लोडिंग और परिवहन योजना से संबद्ध है।
6	**8% आरक्षण कोटा के सापेक्ष तेल विपणन कंपनियों द्वारा विज्ञापित एलपीजी/खुदरा आउटलेट (पेट्रोल/डीजल) डिस्ट्रिब्यूटरशिप के आवंटन हेतु डीजीआर पात्रता प्रमाण पत्र जारी करना**	युद्ध विधवाओं/युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों, युद्ध में नि:शक्त/संक्रियात्मक क्षेत्र में सेवा करते समय नि:शक्त हुए व्यक्तियों, सैन्य सेवा के कारण या उससे संबंधित गंभीर कारणों से सेवा के दौरान शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं/आश्रितों के साथ-साथ सैन्य सेवा के कारण या उससे संबंधित गंभीर कारणों से शांति काल में नि:शक्त हुए भूतपूर्व सैनिक इस योजना के लिए पात्र हैं।
7	**कंपनी के स्वामित्व वाले कंपनी संचालित खुदरा आउटलेट्स का प्रबंधन**	इच्छुक ईएसएम (अधिकारी) और जेसीओ जिन्होंने कोई अन्य सरकारी/डीजीआर लाभ नहीं लिया है, उन्हें तेल कंपनी द्वारा आगे चयन के लिए तेल कंपनी की मांग के आधार पर सीओसीओ के लिए प्रायोजित किया जाता है।
8	**एनसीआर/पुणे में ईएसएम द्वारा आईजीएल/एमएनजीएल सीएनजी स्टेशनों का प्रबंधन**	इस योजना के तहत इच्छुक और पंजीकृत ईएसएम को आईजीएल (नई दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र) और एमएनजीएल (पुणे/नासिक) से अनुरोध प्राप्त होने पर प्रायोजित किया जाता है।
9	**एनसीआर में मदर डेयरी मिल्क बूथ और फल एवं सब्जी (सफल) की**	भूतपूर्व सैनिकों को 60 वर्ष की आयु तक दूध/सफल (फल एवं सब्जी) बूथों के लिए अलग से पंजीकृत किया जाता है। वे इन दुकानों का

	दुकानों का आवंटन	संचालन करते हैं और अपनी आजीविका कमाते हैं/व्यापार के संबंध में उद्यमिता सीखते हैं।
10	**प्रधान मंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) में भूतपूर्व सैनिकों को शामिल करना**	भारत सरकार की योजना, **प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी),** का उद्देश्य सभी देशवासियों को सस्ती दवाइयां प्रदान करने के लिए राष्ट्र भर में जेनरिक दवा फार्मेसियां स्थापित करना है। 2 लाख रुपए के एकबारगी अनुदान का विशेष प्रोत्साहन जो कि यथा लागू सामान्य प्रोत्साहनों (मासिक खरीद के 20% की दर से, अधिकतम सीमा- 20,000 रु. प्रति माह) के अतिरिक्त है, महिला उद्यमियों, दिव्यांग, अजा, अजजा तथा आकांक्षी जिलों (पिछड़े जिलों) में खुली फार्मेसियों को फर्नीचर तथा साजो सामान, कम्प्यूटरों, इंटरनेट, प्रिंटर, स्कैनर आदि को प्रतिपूर्ति के तौर पर प्रदान किया जाता है। औषध विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार की फा. सं. 35030/29/2022-योजना के अनुसार योजना में शामिल होने वाले भूतपूर्व सैनिकों के लिए विशेष प्रोत्साहन के अनुदान को मंजूरी दी गई है। इस योजना को डीजीआर द्वारा पीएमबीआई के सहयोग से जून 2023 में आरंभ किया गया था।
11	**पुनर्वास प्रशिक्षण/कौशल विकास पाठ्यक्रम**	डीजीआर का प्रशिक्षण निदेशालय भारतीय सशस्त्र बलों के सेवानिवृत्त होने वाले/सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए पुनर्वास/कौशल विकास प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करने और संचालित करने के लिए जिम्मेदार है ताकि नागरिक क्षेत्र में सुचारू रूप से

		व्यवस्थित करने और उपयुक्त रोजगार के लिए उनके कौशल स्तर को बढ़ाया जा सके। (कक) **अधिकारियों के लिए:** पाठ्यक्रम शुल्क का 60% रक्षा मंत्रालय/डीजीआर द्वारा भुगतान किया जाता है जबकि 40% प्रत्येक अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से भुगतान किया जाता है। अधिकारियों की विधवाएँ भी उपरोक्त पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए पात्र हैं। (कख) **जेसीओ/ओआर और समकक्ष के लिए:** पाठ्यक्रम शुल्क का 100% भुगतान रक्षा मंत्रालय/डीजीआर द्वारा किया जाता है। जेसीओ/ओआर की विधवाएं भी डीजीआर प्रायोजित पाठ्यक्रमों में भाग लेने के लिए पात्र हैं।

"बिहार में भूतपूर्व सैनिक" के संबंध में दिनांक 13.02.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2341 के भाग 'ग' के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-III

(क) सामान्य प्रबंधन, मानव संसाधन और वित्त प्रबंधन, अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन, लोक प्रशासन एवं प्रबंधन कौशल, विमानन प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन और लॉजिस्टिक्स एवं आपूर्ति श्रृखंला प्रबंधन के क्षेत्र में अधिकारियों के लिए 24 सप्ताह की अवधि वाले पुनर्वास पाठ्यक्रम हैं। इसके अतिरिक्त, कर्नल और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों के लिए दो सप्ताह की अवधि वाला एक स्वतंत्र निदेशकगण पाठ्यक्रम है।

(ख) सूचना प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, उद्यमिता, इलेक्ट्रॉनिक्स, लेखा खाते, अग्नि सुरक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सुरक्षा, होटल प्रबंधन, पर्यटन एवं आतिथ्य, ड्रोन प्रौद्योगिकी, ऑटोमेशन, नौसेना से संबंधित व्यापार के क्षेत्र में जेसीओ/ओआर के लिए 4 से 36 सप्ताह की अवधि के पुनर्वास पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं।

*****